क्रम-संख्या—62

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०—
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 7 मार्च, 2019

फाल्गुन 16, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 510 / 79-वि-1—19-2(क)-1-2019

लखनऊ, 7 मार्च, 2019

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2019) जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2019

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2019)

[भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2019 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में,

(क) खण्ड (ख) में, शब्द "फैजाबाद" जहां कहीं आया हो, के स्थान पर शब्द "अयोध्या" रख दिया जायेगा;

(ख) खण्ड (छ) में शब्द "इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद" के स्थान पर शब्द "प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

"(झ) एक विश्वविद्यालय, जिसे सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर के रूप में जाना जायेगा;"

"(ञ) एक विश्वविद्यालय, जिसे आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के रूप में जाना जायेगा;"

धारा 50 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1-ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

"(1-च) जब तक कि इस धारा के अधीन सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर की प्रथम परिनियमावली न बना ली जाय, तब तक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे।"

"(1-छ) जब तक कि इस धारा के अधीन आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की प्रथम परिनियमावली न बना ली जाय, तब तक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे।"

धारा 52 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (2-घ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

"(2-ङ) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर के प्रथम अध्यादेश, न बना लिये जायें, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से उपबंधित किये जायें।"

"(2-च) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के प्रथम अध्यादेश, न बना लिये जायें, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से उपबंधित किये जायें।"

अनुसूची का संशोधन

5-मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(क) क्रम संख्या 2 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

"2-चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

(एक) सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर की स्थापना होने तक	बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिले

No. 510 (2)/LXXIX-V-1–19-2(ka)-1-2019
Dated Lucknow, March 7, 2019

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhyadesh, 2019 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 1 of 2019) promulgated by the Governor. The Uchcha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2019

(U.P. ORDINANCE NO. 1 OF 2019)

[Promulgated by the Governor in the Seventieth Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :–

Short title

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2019.

Amendment of section 4 of President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974.

2. In Section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1-A),–

(a) in clause (b) *for* the word "Faizabad" wherever occurring the word "Ayodhya" shall be *substituted;*

(b) in clause (g) *for* the words "Allahabad State University, Allahabad" the words "Professor Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj" shall be *substituted.*

(c) *after* clause (h), the following clauses shall be *inserted,* namely :–

"(i) a University to be known as Saharanpur State University, Saharanpur;"

"(j) a University to be known as Azamgarh State University, Azamgarh;"

Amendment of section 50

3. In section 50 of the principal Act, *after* sub-section (1-E), the following sub-sections shall be *inserted,* namely :–

"(1-F) Until the First Statutes of the Saharanpur State University, Saharanpur are made under this section, the Statutes of the University of Chaudhary Charan Singh University, Meerut, as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide."

"(1-G) Until the First Statutes of the Azamgarh State University, Azamgarh are made under this section, the Statutes of the University of Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur, as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide."

Amendment of section 52

4. In section 52 of the principal Act, *after* sub-section (2-D) the following sub-sections shall be *inserted,* namely :–

"(2-E) Until the First Ordinance of the Saharanpur State University, Saharanpur are made under sub-section (2), the Ordinances of the University of

(दो) सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर की स्थापना हो जाने पर — बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ जिले

(ख) क्रम संख्या 6 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां, स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

1	2	3
6.	डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या	अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा और सुल्तानपुर जिले

(ग) क्रम संख्या 9 पर उपसंजात होने वाले प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

"9-वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

(एक) आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की स्थापना होने तक — आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और मऊ जिले

(दो) आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की स्थापना हो जाने पर — गाजीपुर और जौनपुर जिले

(घ) क्रम संख्या 12 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां, स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

1	2	3
12.	प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज	फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिले

(ङ) क्रम संख्या 14 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

"15. सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर" — मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिले

"16. आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़" — आजमगढ़ और मऊ जिले

कठिनाइयों को दूर किया जाना

6-(1) राज्य सरकार, सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर तथा आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की स्थापना से सम्बंधित किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि मूल अधिनियम के उपबंध, ऐसी कालावधि में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझें, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नही किया जायेगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया आदेश, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

राम नाईक,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
संजय खरे,
प्रमुख सचिव।

(e) *after* the serial no. 14, the following serials shall be *inserted* namely:–

"15.	Saharanpur State University, Saharanpur"	District of Muzaffar Nagar, Saharanpur and Shamli
"16.	Azamgarh State University, Azamgarh"	Districts of Azamgarh and Mau

Removal of difficulties

6. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty in relation to the establishment of the Saharanpur State University, Saharanpur and Azamgarh State University, Azamgarh by order published in the *Gazette,* direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2019.

(2) The order issued under sub-section (1) shall be laid before each house of the State Legislature.

RAM NAIK,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
SANJAI KHARE,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 569 राजपत्र–(हिन्दी)–2019–(1499)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 133 सा0 विधायी–2019–(1500)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

Chaudhary Charan Singh University, Meerut, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification provide.''

''(2-F) Until the First Ordinances of the Azamgarh State University, Azamgarh are made under sub-section (2), the Ordinances of the University of Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification provide.''

5. In the Schedule to the principal Act,– Amendment of Schedule

(a) *for* the entries appearing at Serial no. 2, the following entries shall be *substituted*, namely :–

''2. Chaudhary Charan Singh University, Meerut –

(i) Until the establishment of the Saharanpur State University, Saharanpur.	Districts of Bhaghpat, Bulandshahr, Gautam Buddha Nagar, Ghaziabad, Hapur, Meerut, Muzaffar Nagar, Saharanpur and Shamli
(ii) Upon the establishment of the Saharanpur State University, Saharanpur	Districts of Bhaghpat, Bulandshahr, Gautam Buddha Nagar, Ghaziabad, Hapur and Meerut

(b) *for* the entries at Serial no. 6, the following entries shall column-wise be *substituted*, namely :–

1	2	3
6.	Doctor Ram Manohar Lohia Avadh University, Ayodhya	Districts of Ambedkar Nagar, Ayodhya, Bahraich, Bara Banki, Gonda and Sultanpur.

(c) *for* the entries appearing at Serial no. 9, the following entries shall be *substituted*, namely :–

''9. Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur –

(i) Until the establishment of the Azamgarh State University, Azamgarh	Districts of Azamgarh, Ghazipur, Jaunpur and Mau
(ii) Upon the establishment of the Azamgarh State University, Azamgarh	Districts of Ghazipur and Jaunpur

(d) *for* the entries at serial no. 12, the following entries shall column-wise be *substituted*, namely :–

1	2	3
12.	Professor Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj.	Districts of Fatehpur, Kaushambi, Pratapgarh and Prayagraj